वित्त मंत्रित्व

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने हिमाचल प्रदेश में 1,032 हेक्टेयर में फैली अवैध गांजा की खेती को नष्ट कर दिया।

अंतिम तिथि: 20 सितंबर 2022 अपराह्न 3:25 बजे पीआईबी दिल्ली द्वारा

हिमाचल प्रदेश में दो सप्ताह तक चले सबसे बड़े विध्वंस अभियानों में से एक में , **केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के अधिकारियों ने 1032 हेक्टेयर (12,900 बीघा) में फैली अवैध गांजा की खेती को नष्ट कर *दिया* ।**

हिमाचल प्रदेश में अवैध गांजा की खेती के बारे में विशिष्ट सूचना मिलने पर , केंद्रीय कृषि आयोग (सीबीएन) के अधिकारियों की टीमें गठित कर भेजी गईं। सीबीएन के अधिकारियों ने सूचना की पुष्टि की और आगे भौतिक सर्वेक्षण किए, जिसके परिणामस्वरूप अवैध खेती के और अधिक क्षेत्रों का पता चला। इसके बाद, जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस के सहयोग से गांजा नष्ट करने का अभियान शुरू किया गया।

इस अभियान के दौरान, सीबीएन के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के बीच जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ प्रवर्तन की **दोहरी रणनीति अपनाई गई।**

ग्रामीणों को मादक पदार्थों के शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करके सामुदायिक लामबंदी की गई। मादक पदार्थों से युवाओं और बच्चों के भविष्य को होने वाले खतरों के बारे में बताया गया। ग्राम प्रधानों और सदस्यों को एनडीपीएस अधिनियम के प्रासंगिक दंड प्रावधानों के बारे में भी समझाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीणों ने गांवों के आसपास अवैध गांजे की खेती को नष्ट करने के प्रस्ताव पारित किए। ग्रामीणों ने सीबीएन अधिकारियों की देखरेख में सक्रिय रूप से भाग लेकर अवैध खेती को नष्ट करने में सीबीएन अधिकारियों की सहायता की।

सीबीएन अधिकारियों की 4 टीमों को एक साथ अलग-अलग ऑपरेशन क्षेत्र आवंटित किए गए और उन्हें भांग की अवैध खेती वाले कुछ क्षेत्रों में संयुक्त रूप से काम करने की छूट दी गई। ऑपरेशन की संवेदनशीलता को देखते हुए वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी भी टीमों के साथ ऑपरेशन में शामिल हुए। यह उल्लेखनीय है कि सेब और अनार की कटाई का मौसम होने के कारण श्रम की उपलब्धता एक समस्या थी, लेकिन इससे सीबीएन टीमों के साहस और दृढ़ संकल्प में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और खड़ी ढलानों और बारिश वाले दुर्गम इलाकों में भी भांग की अवैध खेती को नष्ट करने का अभियान चलाया। अधिकारी प्रतिदिन समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई तक चढ़े और भांग की अवैध खेती को नष्ट करने में तेजी लाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में डेरा भी डाला। बाद में, डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) के अधिकारी भी इस ऑपरेशन में शामिल हुए।

संवेदनशील स्थानों को टैग/चिह्नित करने के लिए जीपीएस निर्देशांकों का उपयोग किया गया और अवैध भांग (*गांजा*) की खेती वाले क्षेत्रों का पता लगाने और निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे अभियान को अधिक सफलता मिली।

"देश के अन्य हिस्सों में भी मिशन क्रैकडाउन उसी जोश के साथ जारी रहेगा और केंद्रीय मादक पदार्थों के खतरे के खिलाफ केंद्रीय ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के नारकोटिक्स कमिश्नर श्री राजेश एफ धाबरे ने कहा, "यह अभियान मादक पदार्थों की समस्या के खिलाफ पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।"

इस पूरे अभियान के दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय, सीसीएफ, एसपी कुल्लू और डीआरआई द्वारा रसद और जनशक्ति के संदर्भ में सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत सर्वोच्च मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जिसे अन्य जिम्मेदारियों के साथ-साथ भांग और अफीम की अवैध खेती की पहचान और उसे नष्ट करने का कार्य सौंपा गया है।

केंद्रीय मानव संसाधन एजेंसी (सीबीएन) ने पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड आदि कई राज्यों में अवैध अफीम और भांग की खेती को नष्ट करने के लिए अभियान चलाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में 25,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अवैध अफीम और भांग की खेती नष्ट हुई है। **सीबीएन ने इस वर्ष फरवरी और मार्च के महीनों में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 3,600 हेक्टेयर अवैध अफीम की खेती को भी नष्ट किया था।** सीबीएन भविष्य में भी पूरे भारत में अवैध खेती को नष्ट करने के ऐसे अभियान जारी रखने का इरादा रखती है।

****

आरएम/पीपीजी/केएमएन

(रेलीज़ेज: 1860853) अतिथि पटल: 6339
इन सिक्कों को पढ़ें: उर्दू , हिंदी , मराठी , पंजाबी , तेलुगु